39

लोक सभा में साथ–साथ भाषान्तरण

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें लोक सभा में कार्यवाहियों के साथ-साथ भाषान्तरण संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में संवैधानिक उपबंध, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अधीन अध्यक्ष के निदेश तथा दलों और समूहों के नेताओं के परामर्श से लिये गये निर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है, अतः, पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

39

लोक सभा में साथ-साथ भाषान्तरण

संवैधानिक उपबंध और लोक सभा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग

संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद की दोनों सभाओं का कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाता है। भाषाई अड़चन के बिना सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर अपनी बात कहने में सहयोग देने के लिए 7 सितम्बर, 1964 को लोक सभा में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत: साथ-साथ भाषांतरण की द्विभाषी प्रणाली शुरू की गई। तत्पश्चात्, ऐसे सदस्य जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्वयं को पूर्णत: अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ भाषाओं में साथ-साथ भाषान्तरण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। नवम्बर, 1969 में आठवीं अनुसूची में शामिल कुछ और भाषाओं में इस सुविधा का विस्तार किया गया। वर्तमान में साथ-साथ भाषान्तरण की सुविधा निम्नलिखित भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगला, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित शेष भाषाओं में साथ-साथ भाषान्तरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए

1

प्रयास किये जा रहे हैं। जिन भाषाओं में भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध है, उनसे संबंधित जानकारी संसद के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से पूर्व लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी समाचार भाग-दो में भी प्रकाशित की जाती है।

हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं के प्रयोग के संबंध में अध्यक्ष के निदेश

2. यदि कोई सदस्य जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में बोलना चाहते हैं, उन्हें [अध्यक्ष के निदेश 115 ख (1)* के अंतर्गत] कम से कम आधे घंटे पहले इस आशय की सूचना सभा पटल पर संबंधित अधिकारी को देनी अपेक्षित होगी ताकि संबंधित भाषान्तरकार सदस्य के बोलने से पहले भाषान्तरकार कक्ष में अपना स्थान ग्रहण कर ले।

हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं तथा जिस भाषा में भाषान्तरण उपलब्ध कराया जाता है, उन भाषाओं का प्रयोग

3. हिन्दी, अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा अथवा किसी ऐसी भाषा में जिसके लिए भाषान्तरण सुविधा उपलब्ध नहीं है, में भाषण देने के इच्छुक सदस्य को भाषान्तरकारों के उपयोग तथा बाद में

---

* वर्ष 1989 में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश में यथायुक्त निदेश 115 ख (1) में 12 भाषाएं अंतर्विष्ट थीं। अब यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है।

सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल करने हेतु अपने भाषण के हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर की तीन अधिप्रमाणित प्रतियां पटल अधिकारी को अथवा संसदीय सूचना कार्यालय में पहले देनी होगी। यदि कोई सदस्य ऐसा अनुवाद प्रदान नहीं करते हैं और हिन्दी, अंग्रेजी से भिन्न अथवा उन भाषाओं में बोलते हैं जिनके भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सभा के कार्यवाही के वृत्तांत में इस टिप्पणी के साथ वर्णित किया जाएगा कि सदस्य ने अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर नहीं दिया।

4. हिन्दी में सभा की पूरी कार्यवाही का अंग्रेजी में साथ-साथ भाषान्तरण किया जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में होने वाली पूरी कार्यवाही का हिन्दी में भाषान्तरण किया जाता है। हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं में भाषण जिसके लिए भाषान्तरण सुविधा उपलब्ध है, उनका भी अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ भाषान्तरण किया जाता है। तथापि, अंग्रेजी अथवा हिन्दी से इन प्रादेशिक भाषाओं में साथ-साथ भाषान्तरण की सुविधा अब तक शुरू नहीं की गई है।

5. कोई सदस्य अथवा सदस्यों (दो से अधिक नहीं) जिनके नाम (मों) के समक्ष तारांकित प्रश्नों की सूची में प्रश्न शामिल हैं, किसी भी भाषा में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं जिसके लिए भाषान्तरण सुविधा उपलब्ध है बशर्ते इस संबंध में एक अग्रिम सूचना मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न के सूचीबद्ध होने के दिन से पहले किसी कार्य दिवस को अधिकतम अपराह्न 3 बजे तक दी गई हो।

3

6. अब भाषान्तरण की सुविधा प्रश्न काल के दौरान भी उपलब्ध है और विद्यमान पद्धति के अनुसार इस सुविधा का लाभ केवल ऐसे सदस्य ही नहीं उठा सकते हैं जिनके नाम के प्रश्न तारांकित प्रश्नों की सूची में होते हैं बल्कि किसी अन्य सदस्य द्वारा भी इसका लाभ उठाया जा सकता है।

साथ-साथ भाषान्तरण के लिए कम्प्यूटर नियंत्रित एकीकृत प्रणाली

7. साथ-साथ भाषान्तरण सभा की एक अभिन्न सेवा हो गई है। इस सेवा के द्वारा लोक सभा की कार्यवाही का हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ भाषान्तरण की सुविधा दी जाती है ताकि माननीय अध्यक्ष, मंत्रीगण और ऐसे सदस्य, जो सभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा को समझ नहीं पाते हैं, सभा की कार्यवाही को समझ सकें। 13वीं लोक सभा के बारहवें सत्र से साथ-साथ भाषान्तरण के लिए एक नई कम्प्यूटर-नियंत्रित एकीकृत प्रणाली शुरू की गई है। इस एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य के पास इयरफोन पर सुनने के लिए अंग्रेजी, हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा (अर्थात् सभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा) में से अपनी पसन्द की एक भाषा का चयन करने का विकल्प होता है। इस प्रयोजनार्थ सभा में प्रत्येक सीट के साथ एक इयरफोन और एक लैंग्वेज सेलेक्टर स्विच असेम्बली लगा हुआ है। इस प्रणाली

को 15वीं लोक सभा के 15वें सत्र से ठीक पहले नई प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

8. प्रत्येक सत्र आरंभ होने से पूर्व माननीय सदस्यों को सचिवालय द्वारा जारी समाचार-भाग दो (बुलेटिन) के माध्यम से इस प्रक्रिया के उपस्कर आदि के प्रयोग की जानकारी दी जाती है। राज्य सभा सदस्य दीर्घा, गण्यमान्य आगंतुकों के निमित्त स्पेशल बॉक्स, प्रेस दीर्घा और शासकीय दीर्घा में भी इस तरह के कई इयरफोन की व्यवस्था की गई है ताकि भाषान्तरण सुविधा वहां भी उपलब्ध हो सके।

संसदीय समितियों आदि की कार्यवाही का भाषान्तरण

9. साथ-साथ भाषान्तरण का प्रबंध संसद भवन, संसदीय सौध और संसदीय ज्ञानपीठ के सभी समिति कक्षों में उपलब्ध है जहां संसदीय समितियों, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों, विभिन्न मंत्रालयों आदि से संबद्ध परामर्शदात्री समितियों आदि की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

10. साथ-साथ भाषान्तरण सेवा द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की बैठकों के लिए भी साथ-साथ भाषान्तरण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि यह सेवा भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों में उपलब्ध नहीं है।

दस्तावेजों की अग्रिम प्रतियां और गोपनीयता

11. अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न वक्तव्य व भाषण अथवा ऐसी सामग्री के भावार्थ कभी-कभी भाषान्तरकारों को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते समय मंत्री का भाषण होना प्रस्तावित हो, वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया जाना पूर्व-नियोजित हो अथवा वाद-विवाद का उत्तर देते समय जब उत्तर अग्रिम रूप से तैयार किया गया हो अथवा किया जा सकता हो। भाषान्तरकार उस समय तक ऐसे वक्तव्य अथवा भाषण को गोपनीय रखते हैं जब तक कि इन्हें अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अथवा स्वयं संबंधित मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जाए।

भाषण का अंग्रेजी/हिन्दी संस्करण तैयार किया जाना

12. संबंधित भाषान्तरकार सभा में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में दिये गये भाषणों का अनुवाद सभा की शासकीय कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किये जाने हेतु अंग्रेजी/हिन्दी में करते हैं जिसके पाद-टिप्पण में उस भाषा को निरूपित किया जाता है जिसमें मूल भाषण दिया गया था। लोक सभा सचिवालय को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्राप्त भाषण, प्रेस रिपोर्ट, पत्र, याचिका आदि का अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद करने हेतु प्रादेशिक भाषाओं के भाषान्तरकारों की भी सेवाएं ली जाती हैं।

विदेशी गण्यमान्य अतिथियों के दौरे के दौरान भाषान्तरण

13. विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, राजदूतों, नेताओं और संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों सहित अनेक विदेशी गण्यमान्य अतिथि प्रत्येक वर्ष माननीय अध्यक्ष से भेंट करते हैं। जब कभी आवश्यकता हो तो इन बैठकों से संबंधित कार्य को निपटाने के लिए हिन्दी-अंग्रेजी भाषान्तरकारों की सेवाएं ली जाती हैं।

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 120, संविधान की आठवीं अनुसूची और अध्यक्ष के निदेश के निदेश 115ख (1), 115ख (2), 115ख (3)]